न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 3/21 **सन् 2021**

RCMS NO-2021/ 22

बउनवानीः–1. रामसिंह पुत्र श्री मोजीराम गुर्जर नि0 खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
2. रामहेत पुत्र श्री मोजीराम गुर्जर नि0 खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
3. हीरालाल पुत्र श्री मोजीराम गुर्जर नि0 खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. बजरंगलाल पुत्र गोपीचन्द गुर्जर नि0 खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
3. हनुमान पुत्र गोपीचन्द गुर्जर नि0 खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
4. केदार पुत्र गोपीचन्द गुर्जर नि0 खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
5. कमली पुत्री गोपीचन्द पत्नि धनजी गुर्जर नि0 खिलचीपुर हाल निवासी ऐण्डवा तह0सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 30 निर्णय दिनांक 18.3.1967 वाके ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री छोटू सिंह गुर्जर — वकील अपीलान्ट
2. श्री राधेश्याम वैष्णव — वकील रेस्पो0

–: निर्णय :– **दिनांक 16.2.2023**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 30निर्णय दिनांक 18.3.1967 वाके ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक फुन्दिया पुत्र फत्या जाति गुर्जर निवासी खिलचीपुर के सभी विधिक वारिसान की सही तरीके से जॉच नही की गयी है जबकि फत्या के तीन पुत्र क्रमशः रामकुंवार, फुन्दिया, मांग्या थे जिनमे से रामकुंवार लाऔलाद फोत हो गया तथा उसके हिस्से की भूमि भी फुन्दिया और मांग्या के नाम आ गयी फुन्दिया के तीन संतान क्रमशः कन्हैया, गोपीचन्द ओर मोजीराम थे। कन्हेया के कोई संतान नही थी इसलिए उसने अपने जीवन काल में रामहेत पुत्र मोजीराम को गोद ले लिया तथा गोपीचन्द के चार संतान क्रमशः बजरंगलाल,हनुमान,केदार, व कमली पत्नि धनजी तथा इसी प्रकार मोजीराम के दो संतान क्रमशः रामसिंह व हीरालाल है। इसी प्रकार मांग्या के दो संतान क्रमशः पांच्या और कल्याण थे परन्तु कल्याण लाऔलाद फोत हो गया उसके हिस्से की जमीन पांच्या के आ गयी ओर उसने अपने जीवनकाल में आशाराम को गोद ले लिया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

यह तर्क भी दिया कि साबिक ख0न0 671,384,634,672,1782,1291 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम खिलचीपुर अपीलान्ट एवं रेस्पो0 के पिताजी की पैतृक सम्पत्ति थी परन्तु गलत रूप से नामा0 रेस्पो0 के पिता गोपीचन्द के नाम खोल दिया जो अवैधानिक एवं विधि विरूद्व है। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.12.2021 को केसीसी बनवाने हेतु पटवारी के पास जाने पर दिनांक 24.12.2021 को नकल प्रार्थना पत्र पेश करने पर दिनांक 5.1.2022 को नकल प्राप्त हुई है। अतः प्राप्त जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रथम तो अपील मयाद बाहर है तथा आदेश जैर अपील से संबंधित ख0न0 नम्बर को लेकर रेस्पो0 द्वारा उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे वाद विचाराधीन है जिसमे गुणवागुण के आधार पर पक्षकारान का हित निर्धारित किया जावेगा। अर्थात पक्षकारान के मध्य उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे वाद विचाराधीन है तथा नामा0 की अपील एक समरी ट्राईल है। चूंकि उक्त ख0न0 को लेकर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे वाद विचाराधीन है। इसलिए अपील खारिज किये जाने अथवा इस अपील की कार्यवाही स्थिगित रखे जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट एवं रेस्पो0 के पिता मृतक फुन्दिया पुत्र फत्या के विधिक वारिसान है तथा फुन्दिया की मृत्यु के बाद आदेश जैर अपील केवल मात्र रेस्पो0 के पिता गोपीचन्द के नाम भरकर दर्ज फैसल किया गया है,जबकि उक्त नामा0 कन्हैया,गोपीचन्द,मोजीराम के नाम दर्ज फैसल होना चाहिए था। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आदेश जैर अपील पारित करते समय अपीलान्टगण के पिता को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर नही दिये जाने के कारण विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। इसलिए तहसीलदार सवाईमाधोपुर से आदेश जैर अपील का पुनः परीक्षण करवाया जाना उचित समझता हूॅ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक फुन्दिया के सभी विधिक वारिसान की जॉच कर सभी विधिक वारिसान के नाम पुनः नये सिरे से नामा0 भरकर दर्ज फैसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.2.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर